



फेदीखोला गाउँपालिका
स्थानीय राजपत्र
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयद्वारा प्रकाशित

□ खण्ड ५

□ संख्या ३

□ २०७८/०४/०१

गाउँसभाबाट पारित : २०७८/०३/१०
प्रमाणिकरण : २०७८/०३/२०

भाग १

**फेदीखोला गाउँपालिकाको संगठन
तथा
व्यवस्थापन सर्भेक्षण (O&M)**



फेदीखोला गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, स्याङ्जा

फेदीखोला गाउँपालिको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण (O&M)


प्रस्तावना:

मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएपछि साविकको संगठन संरचना र दरबन्दी बमोजिम कर्मचारी समायोजन भइसकेको वर्तमान अवस्था विश्लेषण गरी गाउँपालिकाको अधिकार सूची, कार्यबोझ र कार्यप्रकृति बमोजिम आवश्यक दरबन्दी कायम गर्न आवश्यक भएकोले नेपालको संविधानको अनुसूची ८ र ९ बमोजिम तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ मा उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकार बमोजिम कार्य गरी यस गाउँपालिकाबाट जनतालाई प्रवाह गरिने सेवा सुविधालाई छिटो, छरितो, चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गत रहने शाखाहरु र विषयगत शाखाहरु तथा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गत रहने वडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकीहरुको कार्य, जिम्मेवारी/कार्यबोझका आधारमा दरबन्दी निर्धारण गर्न, दरबन्दीका आधारमा सेवा समूह, योग्यता, तह/श्रेणी निर्धारण गर्न, अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्न, आवश्यक दरबन्दी सृजना गर्न, समग्र संगठन संरचनालाई उचित आकारमा (right sizing) ल्याउन मिति २०७८/०३/१० को नवौँ गाउँसभाद्वारा यो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण स्वीकृत गरिएको छ ।

१. **संक्षिप्त नाम :** पुनर्गठित संगठन संरचनाको नाम "फेदीखोला गाउँपालिको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण (O&M)" रहेको छ ।
२. **प्रारम्भ :** यो संगठन संरचना राजपत्रमा प्रकाशन भएको मिति देखि लागू हुनेछ ।

फेदीखोला गाउँपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण (O&M)

३. स्वीकृत संगठन संरचना:



फेदीखोला गाउँपालिको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण (O&M)

४. स्वीकृत दरबन्दी तेरीज: गाउँपालिकाबाट प्रदान हुने सेवा व्यवस्थापनको लागि देहाय बमोजिमको दरबन्दी तेरीज रहने छ;

(१) गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको दरबन्दी तेरीज:

| क्र.सं. | पद | श्रेणी/तह | सेवा | समूह | उप समूह | साविक पद | थप | घट | खुद कायम | कैफियत |
|--|----------------------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|--------|
| १ | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | ८ औं | प्रशासन | सामान्य प्रशासन | | १ | | | १ | |
| २ | इन्जिनियर | ६/७/८ औं | इन्जिनियरिङ | सिभिल | जनरल | १ | | | १ | |
| ३ | अधिकृत | ६/७/८ औं | शिक्षा | शिक्षा प्रशासन | निरीक्षण | १ | | | १ | |
| ४ | अधिकृत | ६/७/८ औं | प्रशासन | लेखा | | १ | | | १ | |
| ५ | अधिकृत | ६/७/८ औं | कृषि | बालि संरक्षण | | १ | | | १ | |
| ६ | अधिकृत | ८/९ औं | कृषि | भेरेरिनी | | १ | १ | | ० | |
| ७ | अधिकृत | ६/७ औं | स्वास्थ्य | हेल्थ ईन्सपेक्सन | | १ | | | १ | |
| ८ | अधिकृत | ६ औं | इन्जिनियरिङ | सिभिल | विल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट /जनरल | ० | १ | | १ | |
| ९ | अधिकृत | ६ औं | प्रशासन | सामान्य प्रशासन | | २ | | | २ | |
| १० | अधिकृत | ६ औं | कृषि | बागवानी | | ० | १ | | १ | |
| ११ | अधिकृत | ६ औं | कृषि | लापोडेडे | | ० | १ | | १ | |
| १२ | सूचना प्रविधि अधिकृत | ६ औं | विविध | | | ० | १ | | १ | |
| १३ | प्राविधिक सहायक/अधिकृत | ५/६ औं | कृषि | खा.पो.गु.नि. | | ० | १ | | १ | |
| १४ | आन्तरिक लेखापरीक्षक | ५ औं | प्रशासन | लेखा | | १ | | | १ | |
| १५ | लेखा सहायक | ५ औं | प्रशासन | लेखा | | १ | | | १ | |
| १६ | सहायक | ५ औं | प्रशासन | सामान्य प्रशासन | | ४ | | | ४ | |
| १७ | सहायक | ५ औं | न्याय | कानून | | ० | १ | | १ | |
| १८ | कम्प्युटर अपरेटर | ५ औं | विविध | | | १ | | | १ | |
| १९ | प्राविधिक सहायक | ५ औं | शिक्षा | शिक्षा प्रशासन | निरीक्षण | १ | | | १ | |
| २० | प्राविधिक सहायक | ५ औं | कृषि | एकिकृत समूह | | २ | | १ | १ | |
| २१ | प्राविधिक सहायक | ५ औं | कृषि | लापोडेडे | | १ | | १ | ० | |
| २२ | प्राविधिक सहायक | ५ औं | कृषि | भेरेरिनी/लापोडेडे | | १ | | | १ | |
| २३ | सहायक | ५ औं | स्वास्थ्य | क.न./ज.न. | | १ | | | १ | |
| २४ | सव-इन्जिनियर | ५ औं | इन्जिनियरिङ | सिभिल | जनरल | २ | | | २ | |
| २५ | अमिन/सर्भेक्षक | ४/५ औं | इन्जिनियरिङ | सर्भे | | ० | १ | | १ | |
| २६ | खा.पा.स.टे. | ४/५ औं | इन्जिनियरिङ | सिभिल | स्यानीटरी | १ | | | १ | |
| २७ | सहायक | ४ औं | प्रशासन | सामान्य प्रशासन | | ० | १ | | १ | |
| २८ | नायव प्राविधिक सहायक | ४ औं | कृषि | एकिकृत समूह | | १ | १ | | २ | |
| २९ | नायव प्राविधिक सहायक | ४ औं | कृषि | भेरेरिनी | | १ | | | १ | |
| ३० | नायव प्राविधिक सहायक | ४ औं | कृषि | लापोडेडे | | १ | | १ | ० | |
| ३१ | सहायक महिला विकास निरीक्षक | ४ औं | विविध | | | १ | | | १ | |
| ३२ | असिस्टेण्ट सव-इन्जिनियर | ४ औं | इन्जिनियरिङ | सिभिल | जनरल | १ | | | १ | |
| कार्यपालिकाको कार्यालय तर्फ जम्मा | | | | | | ३० | ९ | ४ | ३५ | |

फेदीखोला गाउँपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण (O&M)

(२) वडा कार्यालय तर्फ (५ वटा) को दरबन्दी तेरीज:

| क्र.सं. | पद | तह | सेवा | समूह | उपसमूह | साविक पद | थप | घट | खुद कायम | कैफियत |
|---|---------------------|------|-------------|-----------------|--------|-----------|----------|----------|-----------|--------|
| १ | सहायक | ५ औं | प्रशासन | सामान्य प्रशासन | | २ | | | २ | |
| २ | सव-इन्जिनियर | ५ औं | इन्जिनियरिङ | सिभिल | जनरल | २ | | २ | ० | |
| ३ | सहायक | ४ औं | प्रशासन | सामान्य प्रशासन | | ४ | | १ | ३ | |
| ४ | असिष्ट सव-इन्जिनियर | ४ औं | इन्जिनियरिङ | सिभिल | जनरल | ४ | | १ | ३ | |
| वडा कार्यालय तर्फ जम्मा | | | | | | १२ | ० | ४ | ८ | |
| गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयको जम्मा | | | | | | ४२ | ९ | ८ | ४३ | |

नोट:

- रा.प.अनं. तृतीय तहको कर्मचारी कार्यरत भएमा निजलाई स्वीकृत संगठन संरचना अनुसारको मिल्दो चौथो तहमा कामकाज लगाउन सकिनेछ । त्यस्तो पदमा कार्यरत कर्मचारीको पद जुनसुकै कारणबाट रिक्त भएमा सो पद स्वतः खारेज हुनेछ ।
- संगठन संरचना भित्र नपरेका स्थायी कर्मचारीहरूलाई हाल कार्यरत रहेकै पदमा कामकाज लगाउन सकिनेछ र त्यस्ता पदमा कार्यरत कर्मचारी कुनै कारणबाट रिक्त भएमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार कामकाज लगाउनुपर्नेछ ।
- स्थानीय तहमा समायोजन भएका खा.पा.स.टे. ४ औं वा ५ औं तहको कर्मचारीलाई निजहरूको शैक्षिक योग्यता समेतको आधारमा सव-इन्जिनियर, असिष्ट सव-इन्जिनियर वा प्रा.स.को पदमा कामकाज लगाउन सकिनेछ ।
- यस दरबन्दी भन्दा बाहेक गाउँपालिकाका स्थायी कर्मचारीहरूले गाउँपालिकाले खटाए बमोजिमको काम गर्नुपर्नेछ ।
- अधिकृत ६ औं (स्वा./हे.ई.) भन्नाले स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहको छैटौं तहका जनस्वास्थ्य निरीक्षक, हे.अ. अधिकृत, सि.अ.हे.व. अधिकृत, प.नि.सु. निरीक्षक, खोप निरीक्षक, क्षे.कु. निरीक्षक, भे.क.स. निरीक्षक वा सो सरहका पदनामलाई जनाउनेछ । सो पद रिक्त भएमा हे.अ. ५ औं (स्वा./हे.ई.) बाट पदपूर्ती गरिनेछ ।
- अधिकृत ६ औं (स्वा./क.न./ज.न.) भन्नाले स्वास्थ्य सेवाको क.न. समूहका प.हे.न. वा सि./अ.न.मी. ६ तह वा जनरल नर्सिङ समूहका स्टाफ नर्स ६ तह (स्वा./ज.न.) लाई जनाउनेछ र सो पद रिक्त भएमा स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न./स्टाफ नर्स ५ तहबाट पदपूर्ती गरिनेछ ।
- सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, स्वीपर, डोजर/लोडर अपरेटर, हेल्पर, समाज परिचालक र अन्य प्राविधिक कर्मचारी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले आवश्यकता अनुसार निर्णय गरी करार सेवाबाट पदपूर्ती गर्न सक्नेछ ।

(३) स्वास्थ्य चौकी तर्फको दरबन्दी तेरीज:

| क्र.सं. | पद | तह | सेवा | समूह | उपसमूह | साविक पद | थप | घट | खुद कायम | कैफियत |
|--------------|--------|------|-----------|-------------------|--------|-----------|----|----|-----------|--------|
| १ | अधिकृत | ६ औं | स्वास्थ्य | हेल्थ इन्स्पेक्सन | | ४ | | | ४ | |
| २ | सहायक | ५ औं | स्वास्थ्य | हेल्थ इन्स्पेक्सन | | ४ | | | ४ | |
| ३ | सहायक | ५ औं | स्वास्थ्य | कम्युनिटी नर्सिङ | | ४ | | | ४ | |
| ४ | सहायक | ४ औं | स्वास्थ्य | हेल्थ इन्स्पेक्सन | | ४ | | | ४ | |
| ५ | सहायक | ४ औं | स्वास्थ्य | कम्युनिटी नर्सिङ | | ४ | | | ४ | |
| जम्मा | | | | | | २० | | | २० | |

फेदीखोला गाउँपालिको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण (O&M)

नोटः

- (१) अधिकृत ६ तह (स्वा.से./हे.ई.) भन्नाले स्वास्थ्य सेवाको हेल्थ ईन्सपेक्सन समूहको छैटौं तहका जनस्वास्थ्य निरीक्षक, हे.अ./सि.अ.हे.व अधिकृतलाई जनाउनेछ । सो पद रिक्त भएमा हेल्थ असिष्टेण्ट ५ तह (स्वा.से./हे.ई.) बाट पदपूर्ती गरिनेछ ।
- (२) सहायक ५ तह (स्वा.से./हे.ई.) भन्नाले स्वास्थ्य सेवाको हेल्थ ईन्सपेक्सन समूहको ५ तहका सि./अ.हे.व.लाई जनाउनेछ । सो पद रिक्त भएमा अ.हे.व. ४ तह (स्वा.से./हे.ई.) बाट पदपूर्ती गरिनेछ ।
- (३) सहायक ५ तहमा (स्वा.से./क.न.) भन्नाले स्वास्थ्य सेवाको क.न. समूहको ५ तहका सि./अ.न.मी.लाई जनाउनेछ । सो पद रिक्त भएमा अ.न.मी. ४ तह (स्वा.से./क.न.) बाट पदपूर्ती गरिनेछ ।
- (४) सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएका मध्येबाट स्वास्थ्य चौकीमा तहगत जेष्ठताको आधारमा ईन्चार्ज हुनेछ । तर समान तहको हकमा सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएका मध्येबाट देहायको प्राथमिकताको आधारमा ईन्चार्ज हुनेछन् ।
 - (क) पाँचौ तहमा लोकसेवा प्रक्रिया पूरा गरी सेवा प्रवेश गरेको ।
 - (ख) पाँचौ तहको लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता भएको ।
 - (ग) स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ९ (ख) अनुसार पदस्थापन भएको ।
 - (घ) सम्बन्धित तहको लागि मन्त्रालयले तोकेको स्तरवृद्धि तालिम लिएको ।
- (५) ल्याव असिष्टेण्ट र कार्यालय सहयोगीको पदपूर्ती आवश्यकताको आधारमा करारमा नियुक्त गर्न सकिनेछ ।

आज्ञाले
चिरन्जीबी बराल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत